और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जॉच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8,10,11(2),12,13,14,17,18 एवं 19 में प्रावहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (protected) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित हो जायेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न – प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
योगेन्द्र कुमार दक,
शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण: खसरा नंबर	विवरण: क्षेत्रफल	विवरण: भूमि किस्म
1	[illegible]	शेरगढ	जोधपुर	उत्तर	राजस्व ग्राम मल्लीनाथ नगर के खसरा नं. 1204 व 1205 की कृषि भूमि	मल्लीनाथ नगर	1209/1	255.115	गै.मु.ओरण (बीघा बिस्वा)
				दक्षिण	शेरगढ से बालेसर जाने वाली पक्की सडक		योग	25[illegible].05	(बीघा बिस्वा)
				पश्चिम	राजस्व ग्राम मल्लीनाथ नगर के खसरा नं. 1207,1208व1209की भूमि				
				पूर्व	राजस्व ग्राम मल्लीनाथ नगर खसरा नं. 1200 की कृषि भूमि		योग	10[illegible].10	एकड
					योग		योग	41.32	हैक्टर

सत्यापित प्रतिलिपि
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

[illegible]

द्वितीय अनुसूची (संलग्न पृष्ठ)

प्रस्तावित [illegible] की सूची

क्र. सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia senegal	कुमटा
2	Prosopis cineraria	खेजड़ी
3	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
4	Tecomella undulata	रोहिड़ा
5	Acacia tortilis	टोर्टिलिस
6	Capparis decidua	कैर
7	Leptadenia pyrotechnica	खींप

प्रमाण पत्र

वनखण्ड – [illegible]
रेंज – [illegible]
वनमण्डल– जोधपुर

1. प्रारूप मे दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी मे गैर मुमकिन मगरा, वन विभाग के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर वनविभाग द्वारा वृक्षारोपण स्थापित किया गया है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र मे उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रो मे समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिस पर वृक्षारोपण स्थापित किया गया है एवं यह क्षेत्र वर्तमान मे वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.10 से 0.30 तक का है एवं इन क्षेत्रो मे मुख्य कुमटा, अकेशिया टार्टलिस, खेजड़ी, खींप, कैर एवं अन्य मिश्रित प्रजातियो के पेड़ एवं झाड़िया है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वनविभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के सरक्षण मे कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियो का विकास कार्यो मे उपयोग हो रहा है।
6. प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र सलग्न है।
7. पूर्व मे खसरावार भूमि का मौके पर सुनिश्चित रूप से सीमाकन नही होने कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे किन्तु अब सीमाकन के पश्चात नये प्रस्ताव प्रारूप बनाकर जावक प्रेषित किये जा रहे है।
8. इस वनभूमि का पूर्व मे राजपत्र मे प्रकाशन नहीं हुआ है।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 10, 2018

संख्या 2(1)वन/2018 :–चूंकि सलग्न अनुसूची मे वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप मे घोषित करने का विचार रखती है,

सत्यापित प्रतिलिपि
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner